न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/2018

प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख साकिन मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रणजीत कौर पत्नी पूर्णसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
2. कुलवन्तसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3. बलवीर कौर पुत्री इन्द्रसिंह
4. राज कौर पुत्री इन्द्रसिंह
5. दलवीर कौर पुत्री इन्द्रसिंह
6. सुखविन्द्र कौर पुत्री इन्द्रसिंह
7. जोगेन्द्र कौर पुत्री इन्द्रसिंह

जाति मजहबी निवासी गांव मटीली राठान तह. व जिला श्रीगंगानगर।

8. राजस्थान सरकार।

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 27.02.2018

उपस्थितिः—

श्री भगतसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अरविन्द जागड अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2

श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक रेस्पों. सं. 3, 6, 7

श्री सुखविन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 4, 5

श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :—11.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 91, 188, 92ए का पेश किया। उक्त वाद का निर्णय अधी. न्यायालय ने दिनांक 27.02.2018 को करते हुए वादी का वाद निरस्त कर दिया एवं प्रतिवादी का

11/5/18

कांउटरक्लेम स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी सं. 1 ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के अभिभाषक श्री हंसराज तनेजा उपस्थित, प्रतिवादी सं. 3 से 7 के अभिभाषक राजकुमार नागपाल उपस्थित, प्रतिवादी स्टेट आफ राजस्थान की ओर से पैरोकार राज उपस्थित दर्शाये हैं। अपीलांट प्रतापसिंह जो अधी. न्यायालय में प्रतिवादी सं. 1 है कि तरफ से कोई अभिभाषक उपस्थित है नहीं, न ही अधी. न्यायालय की आदेशिकओं में तथा आदेशिका दिनांक 25.06.2015 में जो एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये है वह defective है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। अतः रजिस्टर्ड तलबाना एक माह में नहीं लौटता है तो अखवार में प्रकाशन या अन्य तरीके से पक्षकार को सूचित किया जाना उचित है। अतः अपीलांट को अधी. न्यायालय में सुना नहीं गया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिक प्रक्रिया अनुसार सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर